

न्यायालय : अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

विविध वाद संख्या-05 / 2024

Reg. No. 09/24

आदेश

22.10.2024 आवेदक की ओर से हाजरी है।

आवेदक रामसागर ठाकुर ने यह विविध वाद विपक्षी बिहार सरकार के विरुद्ध दिनांक 04.06.2024 को मूल स्वत्व वाद संख्या 24/2016 में पारित आदेश को वापस लेने हेतु एवं मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित हेतु दायर किया है। आवेदक के द्वारा दिनांक 11.05.2024 को वाद दायर किया गया जिसमें आज वाद ग्रहण हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। आवेदक का विविध वाद ग्रहण करते हुए न्यायहित में मूल स्वत्व वाद संख्या-24/16 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2024 को वापस लिया जाता है तथा मूल हकीयत वाद संख्या-24/16 को पुनर्जीवित की जाती है। चूंकि मूल वाद वादी के साक्ष्य हेतु लंबित था वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई बार निर्देश दिया गया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए और न साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसके कारण वाद खारिज किया गया था। अब वादी मूल वाद में संघर्ष करना चाहते हैं इसलिए न्यायहित में वादी का विविध वाद मो0 3000/-रु0 पर स्वीकृत करते हुए मूल स्वत्व वाद संख्या-24/16 को पुनर्जीवित किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे आज की तिथि से 6 तिथियों के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करें अन्यथा उचित आदेश पारित किया जायेगा।

दिनांक 12-11-24 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

Sangeeta Rani

सब-जज, प्रथम,

बेनीपुर।

22.10.2024